No. 9/8/86-6Lab.10167.—In pursuance of the provisions of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (Central Act No. XIV of 1947), the Governor of Haryana is pleased to publish the following award of Presiding Officer, Labour Court, Faridabad, in respect of the dispute between the workman and the management of M/s. Pratibha Ceramics Pvt. Ltd., 146/24, Faridabad :—

IN THE COURT OF SHRI A. S. CHALIA, PRESIDING OFFICER, LABOUR COURT, FARIDABAD

Reference No. 204 of 1986

between

SHRI ABDUL RASID, WORKMAN AND THE RESPONDENT-MANAGEMENT OF M/S PRATIBHA CERATIMICS PVT. LTD., 146/24, FARIDABAD.

Present :—

None for the Parties.

AWARD

1. This reference under section 10(i)(c) of Industrial Disputes Act, 1947 (Act No. 14 of 1947) as amended from time to time and latest by Act No. 49 of 1984 (hereinafter referred to as the said Act) was made to this Court by the State of Haryana (Department of Labour),—*vide* its endorsement No. ID/FD/64/86/23898—903, dated 10th July, 1986, to adjudicate upon the dispute of service matter covered by Second Schedule under section 7 of the said Act, arisen between Shri Abdul Rasid, workman and the respondent-management of M/s. Pratibha Pvt. Ltd., 146/24, Faridabad. Accordingly it has been registered as reference No. 704 of 1986.

2. None has appeared. It means parties have since settled the dispute. To this effect letter dated 30th October, 1986 was received from the respondent. Abdul Rasid has been summoned even by way of of registered letter but it has been received back un delivered. It shows that he is not interested to persue this reference. The reference received from the Government. is accordingly answered.

A. S. CHALIA,

Dated 30th October, 1986.

Presiding Officer,
Labour Court, Faridabad.

Endst. No. 2653, dated the 5th November, 1986.

Forwarded (four copies), to the Commissioner and Secretary to Government, Haryana, Labour and Employment Department, Chandigarh, as required under section 15 of the Industrial Disputes Act.

A. S. CHALIA,

Presiding Officer,
Labour Court, Faridabad.

KULWANT SINGH,

Secretary to Government, Haryana,
Labour and Employment Department.

श्रम विभाग

आदेश

दिनांक 16 दिसम्बर, 1986

सं० ओ०वि०/आई०डी०/भिवानी/89-86/47390.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि प्रबन्धक निदेशक, हरियाणा राज्य हथकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लि०, एस० सी० ओ० 147-48, सैक्टर 17-सी, चण्डीगढ़, के प्रधान, हरियाणा राज्य हथकरघा तकनीकी कर्मचारी संगठन, हलवास गेट, भिवानी तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामला/मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला/मामले हैं, न्यायनिर्णय एवं पंचाट छः मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या सलंग्न मांग पत्र दिनांक 25 नवम्बर, 1985 में दी गई मांग नं० 8 (अनुबन्ध "क") को कोई औचित्य है ? यदि हां, तो किस विवरण में ?

कुलवन्त सिंह,
वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग।

अनुबन्ध 'क'

प्रेषक

प्रधान,
हरियाणा राज्य हथकरघा तकनीकी कर्मचारी संगठन,
हलवास गेट, भिवानी ।

सेवा में

प्रबन्धक निदेशक,
हरियाणा राज्य हथकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड,
एस० एस० ओ० 147-48, सैक्टर 17 सी०, चण्डीगढ़ ।

विषय:—डिमाण्डस

दिनांक 25 नवम्बर, 1985

श्रीमति जी,

क्रमांक HR. HT. K.S./TO./Bwol/85-86/48.—आज दिनांक 17 नवम्बर, 1985 की हरियाणा राज्य हथकरघा तकनीकी कर्मचारी संगठन रजि० नं० 912 की मीटिंग प्रान्तीय प्रधान श्री एम० एम० शर्मा, की अध्यक्षता में हलवास भिवानी में हुई। सभा में मौजूद सभी कर्मचारियों ने मांग की है कि प्रबन्धक निदेशक से सम्बन्धित मांगें हल करवाने के लिए तुरन्त लिखा जावे ।

मांगें निम्नलिखित हैं:—

1. तकनीकी कर्मचारियों के पास स्टोर का चार्ज नहीं होना चाहिये ।
2. धागा बाहर भरवाने की अपेक्षा प्रोडैक्शन सैंड में धागा भरवाने का प्रबन्ध होना चाहिये ।
3. कर्मचारियों के ई० पी० एफ० को कापियां निगम द्वारा दी जानी चाहिये ।
4. जो कर्मचारी सरकारी विभागों से कार्पोरेशन में लगे हुए है, उन्हें पिछली सेवा के आधार पर छुट्टियां तथा दूसरी सुविधा दी जाये ।
5. सरकारी छुट्टियां जो कि दूसरी कार्पोरेशन में दी जाती है उन्हें इस कार्पोरेशन में भी लागू किया जाये ।
6. धागे की कोट वाईज तथा रंग के अनुसार रिकोवडरी नहीं होनी चाहिये ।
7. जाब पर वैस्टेज की एवरेज 5% तथा ट्रेनिंग पर 10% दी जानी चाहिये ।
8. दूर पर जाने वाले फिक्स पेय कर्मचारियों को डी० ए० देना चाहिये ।
9. निगम में कार्यरत सभी कर्मचारियों की वरिष्टता सूची तैयार की जाये तथा समय-समय पर जनरल औफिस में भेजी जाये ।
10. वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति की जाये।

अतः संगठन आपसे अनुरोध करता है कि उपरोक्त मांगों को बातचीत द्वारा हल करने के लिए संगठन पदाधिकारियों को तुरन्त समय दिया जाये ता कि मांगो का समाधान शान्तिप्रिय ढंग से किया जा सकें।

एम० एम० शर्मा,
प्रधान ।